न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार — बहक — श्री मोहनराम

जरिये पटवार हल्का - बरेव — पुत्र श्री मांगूराम

जाति गुर्जर नि. बरेव

मुकदमा नं. 37/2018 — राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेव खसरा नम्बर 602 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म 5 गैरमुमकिन (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री मोहनराम पुत्र श्री मांगूराम जाति गुर्जर निवासी बरेव (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा अवैध खनन कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी स्वयं ने नोटिस तामील हुए प्राप्त जो शामिल मिसल अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर किसी भी प्रकार का जवाब पेश नही किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेव ख.न. 602 रकबा 0.16 किस्म 5 पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर गैरमुमकिन अवैध खनन कर अतिकमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 2 प्रति है. का 50 गुणा रूपया 16 रू. (रूपये सोलह रूपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेव भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

वर्ष 2018-19
पंजिका ... पृष्ठ सं. 61
राशि 16/- ... की

[signature]
नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

[signature]

Scanned by CamScanner